

पूर्व मध्य रेल


कार्यालय आदेश संख्या - 568/2021

सोनपुर मंडल के विभिन्न विभागों से प्राप्त तीन माह से अधिक खाली आवासों की सूची के आधार पर निम्नलिखित के पक्ष में रेल आवास आवंटित किया जाता है :-

1. श्री पवन कुमार, ट्राफिक पोर्टर/परिचालन/परमानन्दपुर/सोन, जो प्राथमिकता क्रम में द्वितीय स्थान पर है को विगत तीन माह से खाली रेल आवास सं० E/102 (A) Type - II , BRI Colony/ SEE आवंटित किया जाता है । पी०एफ० नं०-
2. श्री शंकर कुमार यादव, सिम-11/सिगनल/पहलेजा घाट/सोन जो प्राथमिकता क्रम में चौथे स्थान पर है को विगत तीन माह से खाली रेल आवास सं० T-149/B Type I Barbatta/सोनपुर को आवंटित किया जाता है । इनके पास पहले से आवास सं० T-149/A है। अतः आवास सं. T-149/A + T-149/B को कम्पाइड करके टाईप-11 किया जाता है। इनके आवास का रेंट टाईप-11 के अनुसार कांटी जाएगी। पी०एफ० नं० -27208024169
3. श्री मरांग सोरेन, ट्रैकमेन्टर-1/इंजी०/रेलपथ/सोन जो प्राथमिकता क्रम में आठवें स्थान पर है को विगत तीन माह से खाली रेल आवास सं० T -147/F Type-I Barbatta/ सोनपुर को आवंटित किया जाता है । पी०एफ० नं०-27208136026

उपरोक्त पर अमरेप्र-1/सोनपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

- नोट :- (1) उपरोक्त कर्मचारियों जिनके नाम से पूर्व में आवास आवंटित है को खाली कर संबंधित कार्यालय को सुपूर्द करे।  
(2) उपरोक्त आवास का रेंट रेल नियमानुसार कटीती की जाएगी ।

  
(रवि कुमार, सॉल्ट)  
सकाधि ॥

कृते मंडल रेल प्रबन्धक/का०/सोनपुर  
दिनांक - 31.08.2021

संख्या - का/575/लूज/सोनपुर/14 भाग - 4

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. वमई (सम), वमकाधि, वमपचाप्र एवं वमसिदूई/सोनपुर
2. सी.से.ई./कार्य/सोनपुर
3. सी.से.ई./विधुत/सोनपुर
4. मुख्य कार्याधी/बिल/सोनपुर
5. मंडल मंत्री - ईसीआरकेयू/एसी/एसटी एशोसिएशन/एवं ओ.बी.सी/सोनपुर